

**POLYCAB INDIA LIMITED**

(formerly known as Polycab Wires Limited)

Polycab House, 771 Mogul Lane, Mahim (W), Mumbai – 400016

CIN No L31300DL1996PLC266483

Tel : +91 22 2432 7070-74 Fax : +91 22 2432 7075 Email: [info@polycab.com](mailto:info@polycab.com) Web: [www.polycab.com](http://www.polycab.com)

Date: 10<sup>th</sup> February 2020

To  
Department of Corporate Services,  
BSE Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

To  
Listing Department,  
National Stock Exchange of India Limited  
C-1, G-Block, Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E), Mumbai – 400 051

**Scrip Code: 542652 Scrip Symbol: Polycab**  
**ISIN:- INE455K01017**

Dear Sir / Madam

**Sub: Newspaper Advertisement for shifting of the Registered Office from National Capital Territory ('NCT') of Delhi to the 'State of Gujarat'.**

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith notice published in the Newspapers viz. Financial Express in English all editions, Jansatta and Hindustan Times in Hindi (Delhi edition) on 08<sup>th</sup> February 2020, regarding shifting of Registered Office from National Capital Territory ('NCT') of Delhi to the State of Gujarat.

Kindly take the same on your record.

Thanking you

Yours Faithfully

**For Polycab India Limited**

---

**Sai Subramaniam Narayana**  
**Company Secretary and Compliance Officer**  
Membership No.: F5221  
Address: Polycab House, 771, Mogul Lane  
Mahim (West), Mumbai - 400 016



**Registered Office:**  
E -554 ,Greater Kailash -II,  
New Delhi-110048 India  
Tel : 011-29228574



विश्व का सबसे बड़ा जीनोम टेस्टिंग प्रोजेक्ट शुरू करेगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

# 20 हजार की 'जीनोम सिक्वेसिंग'

फैसला

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बीस हजार लोगों के जीनोम सिक्वेसिंग करने का फैसला किया है। इसके लिए जीनोम इंडिया परियोजना शुरू कर दी गई है। अगले महिने से देश की 20 चुनिंदा प्रयोगशालाओं द्वारा जीनोम सिक्वेसिंग का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके परिणामों से देश में हर प्रकार के लोगों की जेनेटिक संरचना का रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारियों की पूर्व जानकारी हासिल करना संभव होगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डा. रेनु स्वराज ने 'हिन्दुस्तान' से कहा कि परियोजनाओं को पिछले महिने शुरू कर दिया है तथा सभी 20 प्रयोगशालाएं पहले दस हजार लोगों के जीनोम डाटाबेस तैयार करेंगी। ये नमूने देश के अलग-अलग हिस्सों से एकत्र किए जाएंगे तथा हर प्रकार के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। पहले चरण में

## जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के फायदे

- 1 अभी तक जेनेटिक बीमारियों की जांच के लिए विदेशी डाटाबेस से मैचिंग कराई जाती है, लेकिन भारतीयों का डाटाबेस उपलब्ध होने से बीमारी और कारणों की सही जांच होगी
- 2 जेनेटिक बीमारियों के कैरियर की जांच हो सकेगी। खासकर बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को इस जांच से फायदा होगा।
- 3 जीनोम सिक्वेसिंग से कोई भी व्यक्ति अपनी वंशावली को बताने और इससे बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष उपचार प्रभावी दवा का चयन करना आसान हो जाएगा।
- 4 जीनोम सिक्वेसिंग से कोई भी व्यक्ति अपनी वंशावली का पता लगा सकेगा। इससे एचएलए टाइपिंग पता चल जाती है जिसे अंग प्रत्यारोपण जैसे मामलों में डोनर का चुनाव आसान होगा।
- 5 जीनोम सिक्वेसिंग से इंसिडेंटल फाइंडिंग भी हो जाती है। सामान्य अवस्था में ऐसे टेस्ट से जीनोम में हो रहे म्यूटेशन आदि की जानकारी मिल सकती है जो बीमारियों के बचाव में कारगर हो सकती है।



हमारा लक्ष्य है कि देश के हर किस्म की जेनेटिक संरचना वाली आबादी को कवर कर लिया जाए जबकि दूसरे चरण में हम उन क्षेत्रों के दस हजार लोगों के नमूनों की जीनोम सिक्वेसिंग करेंगे जहाँ किसी खास किस्म की बीमारियों का प्रकोप है। डा. स्वराज ने कहा कि जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कुल 238 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें शामिल प्रयोगशालाओं में इंडियन

इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु, नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेसर, कई आईआईटी तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं शामिल होंगी। संभावना है कि अगले महिने से ये प्रयोगशालाएं नमूने एकत्र करने का कार्य शुरू कर देंगी। प्रशासनिक आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जीनोम सिक्वेसिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे

पिछले साल पूरा कर लिया गया है। इसमें कुल 1008 लोगों की जीनोम सिक्वेसिंग की गई थी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डा. हर्षवर्धन ने तभी ऐलान कर दिया था कि जल्द बड़ा जीनोम प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा। बता दें कि सीएसआई ने जीनोम टेस्टिंग की सुविधा लाल पैथ समेत सात कंपनियों को हस्तांतरित की है जिससे निजी क्षेत्र में भी जीनोम टेस्टिंग हो सकेगी।

# निजी विशेषज्ञों की मदद से हादसे रोकेंगे

नई दिल्ली | अरविंद सिंह

केंद्र सरकार ने देश में निरंतर बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए विशेषज्ञ से विश्लेषण कराने का फैसला किया है। इसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले सालाना सड़क हादसों के डाटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण कर ठोस उपाय लागू किए जाएंगे। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जनवरी को विशेषज्ञ की भर्ती के लिए सूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि विशेषज्ञ की नियुक्ति मंत्रालय के ट्रांसपोर्ट रिसर्च विंग में की जाएगी। विशेषज्ञ सड़क परिवहन मंत्रालय के सालाना सड़क दुर्घटना के डाटाबेस के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। इसमें एक जैसे कारणों के चलते होने वाले सड़क हादसों का पता लगाकर उसे दूर करने के उपाय लागू करने संबंधी

## ब्लैक स्पॉट का पता लगाएं

हादसों के लिए एक बड़ा कारण राष्ट्रीय राजमार्गों की डिजाइन में त्रुटि मानी जाती है। विशेषज्ञ सर्वाधिक दुर्घटना स्थल वाली जगह का पता लगाने में सरकार की मदद करेंगे। वही ऐसे ब्लैक स्पॉट से निपटने और खामियों को दुरुस्त करने के उपाय बताएंगे।

सिफारिश की जाएगी। देश में हर साल पांच लाख सड़क हादसों में 1.5 लाख लोगों की मौत होती है। सरकार के प्रयास के बावजूद यह आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। फॉर्म-18 में दर्ज होते हैं हादसे: सड़क परिवहन मंत्रालय ने काफी पहले 22 दिसंबर 2017 को अधिसूचना

## आईआईटी मद्रास की मदद से वैज्ञानिक जांच कराएंगे

सरकार यूपी, कर्नाटक, मध्यप्रदेश सहित देश में सर्वाधिक सड़क हादसे वाले छह राज्यों में वैज्ञानिक जांच कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इसमें आईआईटी मद्रास की मदद से उक्त राज्यों का सूचना प्रौद्योगिकी आधारित एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटा (आईआईटी) तैयार किया जाएगा।

जारी कर सभी राज्यों को सड़क हादसों को दर्ज करने के लिए रोड एक्सीडेंट रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट लागू कर दिया था। इसे फॉर्म-18 नाम दिया गया है। राज्य की पुलिस व परिवहन विभाग के अधिकारी सड़क हादसों की संपूर्ण जानकारी उक्त फॉर्म-18 में दर्ज करते हैं।

## काशी विद्यापीठ का परीक्षा फीस बढ़ाने का आदेश रद्द

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विद्यापीठ द्वारा परीक्षा फीस बढ़ाने का आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय को स्टैच्यूट में नियमानुसार प्रावधान किए बिना परीक्षा फीस बढ़ाने का अधिकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने विवेकानंद महाविद्यालय सेमरी बलिया सहित तीन डिग्री कॉलेजों की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने काशी विद्यापीठ वाराणसी द्वारा परीक्षा फीस बढ़ाने के आदेश को अवैध करार दिया है। यह भी कहा कि छात्रों द्वारा जमा की गई अतिरिक्त फीस अगले सत्र में समायोजित की जाए।

## 'फंडणवीस सरकार में भाजपा नेताओं के फोन टैप हुए'

मुंबई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के पास इस बात की सूचना है कि पिछली देवेंद्र फडणवीस सरकार में कुछ भाजपा नेताओं के फोन टैप किए गए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। दो सदस्यीय समिति पिछले साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव के दौरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं के फोन टैप किए जाने की शिकायतों की जांच कर रही है। देशमुख का बयान ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले ही नाराज भाजपा नेता एकनाथ खड्गे ने फोन की कथित टैपिंग की उद्घव ठाकरे सरकार द्वारा जांच कराए जाने की प्रशंसा की थी। हालांकि, खड्गे से ने कथित रूप से कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि पिछली भाजपा-शिवसेना सरकार में उनका फोन टैप किया गया।

## सैन्य सड़कों के इस्तेमाल की कीमत चुकानी होगी

नई दिल्ली | मदन गैड़ा

व्यवस्था

सेना सीमावर्ती इलाकों और सैन्य क्षेत्रों में अपने लिए सड़कों बनाती है। इनका इस्तेमाल आम लोग भी करते हैं लेकिन जब रखरखाव की बात आती है तो सेना को खुद खर्च खर्च करना पड़ता है। अब सेना ने तय किया है कि रखरखाव के लिए संबंधित एजेंसियों से भी शुल्क लेगी। सेना इस व्यवस्था के तहत पिछले कुछ समय में 190 करोड़ रुपये की राशि विभिन्न एजेंसियों से ले चुकी है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि यह कदम आंतरिक संसाधन जुटाने के लिए उठाया गया है। सैन्य इलाकों व सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी कई सड़कें हैं जिनका निर्माण सेना जरूरतों के हिसाब से करती है। पर उनका इस्तेमाल सभी करते हैं। सेना ने इस मुद्दे को राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के समक्ष उठाया। उसने अनुरोध किया कि वे ऐसी सड़कों के

सड़क निर्माण करने वाली एजेंसियों से शुल्क लिया जाएगा

- सेना ने 190 करोड़ की राशि विभिन्न एजेंसियों से ली

रखरखाव में सेना को सहयोग करें। सेना के अनुरोध को सरकारी एजेंसियां स्वीकार भी कर रही हैं। इस मद में सेना को 190 करोड़ मिलें हैं। व्यवस्था को और व्यापक बनाया जा रहा है। जहां-जहां भी ऐसी सड़कें हैं, वहां इसे लागू किया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा यह कदम सेना के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। कुछ वर्षों के दौरान रक्षा बजट में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके चलते सैन्य बलों में अनावश्यक खर्चों में कटौती की जा रही है और संसाधन जुटाने के उपाय भी किए जा रहे हैं।

## अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने ट्रस्ट पर सवाल उठाए

हरिद्वार | मुख्य संवाददाता

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया है, उसमें एक गृहस्थ को अध्यक्ष बनाकर संतों का अपमान किया गया है। ऐसी स्थिति में ट्रस्ट में शामिल संतों को अपने नाम वापस ले लेने चाहिए। ट्रस्ट का गठन संतों की गरिमा के विपरीत किया गया है। शुक्रवार को

## श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की बैठक दिल्ली में होगी: स्वामी परमानंद

अमौली। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य मनोनीत होने के बाद शुक्रवार को अपनी जन्मभूमि मठई धारदात पहुंचते अखंड परमधाम के संस्थापक स्वामी परमानंद गिरि जी महाराज का जोरदात विचार किया गया। परमानंद गिरि जी ने कहा कि ट्रस्ट की पहली बैठक शीघ्र ही दिल्ली में होगी है। बैठक में राममंदिर निर्माण को लेकर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। निरंजनी अखाड़े में पत्रकारों से बातचीत में नरेंद्र गिरी ने कहा कि ट्रस्ट का अध्यक्ष एक गृहस्थ को बनाया गया है। गृहस्थ जीवन वाला अध्यक्ष ऊपर वाली कुर्सी पर बैठेगा और ट्रस्ट के सदस्य संत

उसके नीचे बैठेंगे। यह संतों की परंपरा नहीं है। अखाड़ा परिषद को ट्रस्ट में शामिल न किए जाने के सवाल पर नरेंद्र गिरी ने कहा कि इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Labour & Employment, Government of India  
क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल  
ESIC Model Hospital  
बसईदागपुर, रिंग रोड, नई दिल्ली-15  
Basaidarapur, Ring Road, New Delhi-15  
Website: www.esic.nic.in

वरिष्ठ रेसिडेंट के पद पर भर्ती के लिए प्रवेश-साक्षात्कार

क.रा.बी. निगम आदर्श अस्पताल, वरिष्ठ रेसिडेंट (नियमित आधार पर एवं एक वर्ष के लिए जीडीएमओ की एवज में) के पद पर भर्ती के लिए दिनांक 10.02.2020 व 11.02.2020 को अधिष्ठाता कार्यालय, 5वां तल, शैक्षणिक खंड, एमएस कार्यालय भवन, क.रा.बी.-पीजीआईएमएसआर, नई दिल्ली में प्रवेश-साक्षात्कार आयोजित कर रहा है। रिक्तियों आदि का विवरण [www.esic.nic.in](http://www.esic.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है।

ह. / -  
चिकित्सा अधीक्षक

### आईना

राय ने 50 लाख मांगे थे : इंद्राणी मुंबई। इंद्राणी मुखर्जी ने एक निचली अदालत के समक्ष दावा किया कि सरकार गवाह बने आरोपी श्यामवीर राय ने उसके खिलाफ गवाही न देने के एवज में 50 लाख रुपये मांगे थे। शीना बोरा हायाकांड में प्रमुख आरोपी इंद्राणी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कहा।

### बजट कवर पर गांधी की तस्वीर से विवाद

तिरुवनंतपुरम। केरल सरकार के बजट के कवर पर बापू की हत्या की फोटो लगाने के बाद विवाद शुरू हो गया। बीजेपी और कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। वहाँ, वित्त मंत्री टी प्म थॉमस इसाक ने कहा कि देश बापू के हत्यारे को कभी नहीं भूल सकेगा।

**POLYCARB**  
पोलीकार्ब इंडिया लिमिटेड  
(पूर्व में पॉलीकार्ब वायर्स लिमिटेड)  
सीआरएस: L31300DL1996PLC266483  
पंजीकृत कार्यालय: ई-564, गेट नं. 110048, प्लॉट नं. 2, नई दिल्ली - 110048, भारत  
फोन नंबर: 011-29228574,  
वेबसाइट: [www.policarb.com](http://www.policarb.com)  
ई-मेल: [shares@policarb.com](mailto:shares@policarb.com)

श्रवणा  
कार्य: 01, अक्टूबर-26  
[बतौर] (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (6)(अ) के अंतर्गत में  
केंद्र सरकार (भारत सरकार), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष  
कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (6)(अ) तथा  
कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत में  
स्थापित

पोलीकार्ब इंडिया लिमिटेड, निगम पंजीकृत कार्यालय  
ई-564 गेट नं. 110048, प्लॉट नं. 2, नई दिल्ली-110048 तथा  
कॉर्पोरेट कार्यालय पोलीकार्ब हाउस, 771 मूल लेन, गांधी (ए),  
गुर्हा-400016 पर स्थित है, के नाम पर

आईडी कंपनी  
आय वसुधा को एचएलए सुविधा के अंतर्गत कर्माचारियों के लिए कंपनी  
अभियंता, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत कर्माचारियों के लिए कंपनी  
के समक्ष नियुक्ति शर्तों के अंतर्गत, निगम को सौंपी गई है, योग्यता,  
20 जनवरी 2020 अंतिम तिथि/पर एच एचएलए के अंतर्गत कर्माचारियों  
का ई-पोर्टल को सौंपि जा रही है। अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) के अंतर्गत  
बैठक/इंटरनियुक्ति मास्टर्स द्वारा केंद्रित ('ई-पोर्टल') के अंतर्गत  
एक विशेष संकेत के अंतर्गत कर्माचारियों के अंतर्गत कर्माचारियों  
में बदलाव करने की कोशिश का आदेश जारी है, ताकि  
कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को 'दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग  
क्षेत्र' के 'पुनरुद्धार परियोजना' में बदलाव में शामिल हो सके।  
आईडी कंपनी विज्ञापन और कर्माचारियों के पंजीकृत कार्यालय के  
प्रारम्भिक बदलाव से सम्बंधित है, इस सूचना के प्रकाशन  
की तिथि से तुरंत दिनों के अंदर एमएस-21 पोर्टल  
([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) पर निवेदन सौंपना/कर्मचारी भर्तव्य का एक  
हस्ताक्षर प्राप्त सम्बंधित अर्थात् अर्जाओं का निवेदन करने के आधार  
का अन्तर्गत जारी है, उक्त अंतर्गत निवेदन, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग,  
दरती सेंट्रल, अन्तर्विभाग भवन, पीजीआई आरएमएसआर, नई  
दिल्ली-110003 को पंजीकृत व पंजीकृत डाक से भेज सकता है।  
रिक्तियों एक प्रति सूची कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को उक्त-नीचे  
लिखे गए पते पर भेजी जानी चाहिए।  
ई-564 गेट नं. 110048, नई दिल्ली - 110048

कृपे पॉलीकार्ब इंडिया लिमिटेड  
(पूर्व में पॉलीकार्ब वायर्स लिमिटेड)  
हस्ताक्षर / -  
आईडी. अर्थव्यवस्था  
विकास तथा प्रबंध संयोजक  
सीआरएस: 00309108

श्रवणा, नई दिल्ली  
दिनांक: 07 फरवरी 2020

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  
भारत सरकार  
सत्यमेव जयते

आधार  
मेरा आधार, मेरी पहचान

# नवजात शिशुओं का भी आधार बन सकता है

आधार नामांकन के लिए बच्चे के साथ माता/पिता या अभिभावक अपना आधार एवं संबंध दर्शाने वाले दस्तावेज़ (जन्म प्रमाणपत्र या अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड/पर्ची) लेकर किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जा सकते हैं

केंद्रों की सूची के लिए [uidai.gov.in](http://uidai.gov.in) पर जाएँ या 1947 पर कॉल करें

लाइन से बचें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए [स्केन](http://uidai.gov.in) करें:

dayp 54103/13/0055/1920

# ओएसडी की गिरफ्तारी के बाद तीन जगह छापेमारी

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव की गिरफ्तारी के बाद अन्य एक आइएएस अधिकारी का रॉ उदित प्रकाश राय के परिसरों पर तलाशी चलाई। सीबीआई की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किए गए ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव

अभियान में माधव को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार के कई और अधिकारी मामले में एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। हालांकि, सीबीआई को अब तक इस मामले में सिसोदिया की सलिपता का नहीं पता चला है। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, पृष्ठछाह के दौरान माधव ने आइएएस अधिकारी राय की सलिपता का आरोप लगाया है, जिसके बाद जांच एजेंसी ने सिविल लाइसेंस में उनके परिसरों की तलाशी ली।

राय असम-मेघालय और अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-केन्द्र शासित प्रदेश (केंडर) के 2007 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने माधव और आइटीओ इलाके में स्थित जीएसटी विभाग के अन्य अधिकारियों के कार्यालयों में भी छापे मारे। सीबीआई ने रोहिणी में माधव के घर और वजीराबाद इलाके में धीरज गुप्ता के घर पर भी छापे मारे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से एन पहले माधव की गिरफ्तारी की सीबीआई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं।

**POLYCARB**  
पॉलीकार्ब इंडिया लिमिटेड  
(पूर्व में 'पॉलीकार्ब वायर्स लिमिटेड')  
सी.ए.एन.एल. L31300DL1996PLC266483  
पंजीकृत कार्यालय: ई-554, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048, भारत  
फ़ोन नंबर: 011-29228574, वेबसाइट: www.plycarb.com  
ई-मेल: shares@plycarb.com

**सूचना**  
फॉर्म सं. आईएनसी-26  
[कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुक्रम में]  
केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष  
कंपनी (निगम) नियम, 2014 के नियम 30 (5)(अ) तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 (4) के मामले में  
तथा  
पॉलीकार्ब इंडिया लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय  
ई-554 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली-110048 तथा  
कॉर्पोरेट कार्यालय पॉलीकार्ब हाउस, 771 मंगल लेन, माहीम (प),  
मुंबई-400016 पर स्थित है, के मामले में  
...वादी कंपनी  
आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम,  
2013 की धारा 13 के अंतर्गत कंपनी का केंद्र सरकार के समक्ष  
जिसकी शक्ति क्षेत्रीय, निदेशक को सौंपी गई है, सोमवार, 20 जनवरी  
2020 अर्थात् विधिवत/भरे हुए पोस्टल बैलेट फॉर्मस या ई-वोटिंग की  
प्रति की अंतिम तिथि को पोस्टल बैलेट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा  
वोटिंग ("ई-वोटिंग") से प्राप्त एक विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी  
के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव करने की पुष्टि का आग्रह  
करने का प्रस्ताव है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को  
"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से "गुजरात राज्य" में बदलने  
में सक्षम हो सके।  
कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित  
बदलाव से प्रभावित हो सकता है, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से  
चौदह दिनों के अंदर एनसी-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर  
निदेशक शिकायत फॉर्म भरकर या एक हलफनामा द्वारा समर्थित अपनी  
आपत्तियों एवं विरोध करने के आधार का उल्लेख करते हुए, उसे क्षेत्रीय  
निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 गेट, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन,  
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को पहुंचा या पंजीकृत  
डाक से भेज सकता है, जिसकी एक प्रति वादी कंपनी के पंजीकृत  
कार्यालय को उनके नीचे दिए गए पते पर भेजी जानी चाहिए:  
ई-554 ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली - 110048  
कृते पॉलीकार्ब इंडिया लिमिटेड  
(पूर्व में 'पॉलीकार्ब वायर्स लिमिटेड')  
हस्ता./-  
इंद्र टि. जवसिंधानी  
अध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक  
बीआईएन: 00308108  
स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 07 फरवरी 2020

**आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड**  
पंजी. कार्यालय: 15वाँ तल, इरोस कॉर्पोरेट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019, (भारत)  
टेली: 011-66155129, फैक्स नं. +91-120-4588513  
ई-मेल: info@raclgeartech.com/वेबसाइट: www.raclgeartech.com,  
CIN: L34300DL1983PLC016136

31 दिसम्बर, 2019 का समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैंडर्डलाइन तथा समाकृत अनकाइड वित्तीय पारिभाषा का सार  
(ईपीएस को छोड़कर रुपये लाखों में)

विवरण	समेकित स्टैंडर्डलाइन							
	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	तिथि तक वर्ष के आंकड़े	समाप्त पूर्व वर्ष	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	तिथि तक वर्ष के आंकड़े	समाप्त पूर्व वर्ष
परिचालन से कुल आय	5587.56	5287.10	16518.39	19096.43	5587.56	5287.70	16512.66	19096.43
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों से पूर्व)	795.18	487.13	1953.20	1734.13	791.95	487.13	1955.80	1734.13
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/ विशिष्ट अथवा मदों के बाद)	795.18	487.13	1953.20	1734.13	791.95	487.13	1955.80	1734.13
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण एवं/अथवा विशिष्ट मदों के बाद)	561.98	371.13	1386.33	977.24	558.85	371.13	1389.32	977.24
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल)	561.98	371.13	1386.33	943.24	558.85	371.13	1389.32	943.24
इक्विटी शेयर पूंजी	1078.16	1028.16	1078.16	1028.16	1076.16	1028.16	1078.16	1028.16
आवृत्त (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर) जैसा कि पूर्व वर्ष के तुलना पत्र में दर्शाई गई है	-	-	-	5618.59	-	-	-	5618.59
आप प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति का) (अनवरत तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)	5.21	3.61	12.86	9.34	5.18	3.61	12.89	9.34

टिप्पणी:  
1. उपरोक्त विवरण सेवा (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 तथा सेवा सक्च्यूलर CIR/CFD/FAC/62/2016 तिथि 5 जुलाई, 2016 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई लिमिटेड में दाखिल की गई 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के स्टैंडर्डलाइन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। अनंकेक्षित स्टैंडर्डलाइन एवं समेकित तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.raclgeartech.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात् www.bseindia.com पर उपलब्ध है।  
2. 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के विस्तृत अनंकेक्षित तथा समेकित वित्तीय परिणामों तथा इस सारांश की ऑडिट कमीटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 6 फरवरी, 2020 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गए तथा 31 दिसंबर, 2019 को समाप्त तिमाही तथा नौ महीने के वित्तीय परिणामों की कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा समीक्षा की गई है।

निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से  
आरएसीएल गिअरटेक लिमिटेड  
हस्ता./-  
गुशरण सिंह  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक  
DIN:00057602

स्थान: गजराौर  
तिथि: 6 फरवरी, 2020

# आपसी रंजिश में कारोबारी पर चलाई गोलियां, आरोपी फरार

जनसत्ता संवाददाता  
नई दिल्ली, 7 फरवरी।

जाफराबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने एक जैकेट कारोबारी की दुकान पर कई गोलियां चलाई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली किसी को लगी नहीं। वारदात घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो हुई है। शुरूआती जांच में पुलिस का कहना है कि गोलीबारी आपसी रंजिश से की गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में बदमाश हेल्मेट पहने हुए दिख रहे हैं। घटनास्थल से कुछ दूरी पर पिछले एक महीने से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लोग धरने पर बैठे हैं। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त वेद प्रकाश सूर्या के मुताबिक, मुर्तजा जाफराबाद इलाके में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी जाफराबाद के गली नंबर-32 के पास मुख्य सड़क पर एमकेके कलेक्शन नाम से जैकेट की दुकान है। शुक्रवार दोपहर करीब 1:25 बजे वे अपने कर्मचारियों के साथ दुकान पर बैठे थे, तभी यह घटना घटी।

**ऐसी होगी हमारी दिल्ली**

# कांग्रेस ने 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली को बेहतर बनाया था, आओ, फिर से दिल्ली को वही कांग्रेस वाली दिल्ली बनाते हैं।

- स्नातक युवाओं को ₹5000, स्नातकोत्तर युवाओं को ₹7500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता
- शीला पेंशन योजना, प्रति माह ₹5000 बेहतर होगा बुजुर्गों का जीवन
- गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को ₹6 यूनिट की दर से बिजली
- 600 यूनिट बिजली पर सब्सिडी
- दस नए AIIMS जैसे सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल का निर्माण
- JJ क्लस्टर में रहने वाले सभी लोगों को 350 वर्गफीट के प्लैट
- छात्राओं की शिक्षा नर्सरी से पीएचडी तक मुफ्त
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण
- यारी स्टार्टअप के तहत स्टार्टअप के लिए ₹5000 करोड़ का फंड
- दुकानों और प्रतिष्ठानों पर कोई अवैध सीलिंग नहीं
- 10 नए विश्वस्तरीय कॉलेजों का निर्माण

**SpiceJet Limited**  
CIN: L51909DL1984PLC288239  
Regd. Office: Indira Gandhi International Airport, Terminal 1D, New Delhi -110 037  
Website: www.spicejet.com; email: investors@spicejet.com;  
T: +91 124 3913939; F: +91 124 3913844

**NOTICE**  
Notice is hereby given pursuant to Regulation 47(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, the 14<sup>th</sup> day of February, 2020 to consider and approve the unaudited standalone and consolidated financial results of the Company for the third quarter ended December 31, 2019.  
The notice to the stock exchange communicating the above is available on the website of the stock exchange where the shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and on the Company's website viz. www.spicejet.com.

For SpiceJet Limited  
Sd/-  
Date : February 7, 2020 Chandan Sand  
Place : Gurugram Sr. VP (Legal) & Company Secretary

**प्रपत्रक सार्वजनिक घोषणा**  
[भारतीय विवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यवसायों के लिए) ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

**मारुती केसरी नंदन एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ संबंधित विवरण**

क्र.सं.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मारुती केसरी नंदन एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
1.	कार्पोरेट देनदार के निगम की तिथि	19/01/2012
2.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निर्माता/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज- दिल्ली
3.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U15132HR2012PTC044850
4.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	495/7, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, सिविल मॉडरेट के पास, पटवरी रोड, मुद्रामग-122001
5.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरमण तिथि	06/02/2020 (आदेश की प्रति 06/02/2020 को प्राप्त हुई)
6.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समाधान की पूर्वनिर्धारित तिथि	04/08/2020 (दिवाला प्रक्रिया प्रारम होने की तिथि से 180 दिन)
7.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर	श्री अजय कुमार जैन पंजीकरण सं. IBB/PA-002/IP-N00415/2017-2018/11188
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीकृत है	ई-15 / 209, सेंक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ईमेल: ajayjain721@gmail.com
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल	ई-15 / 209, सेंक्टर-8, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ईमेल: manulikesri.cirp@gmail.com
10.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	21.02.2020
11.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 4 उप-धारा (क) के कर्जों (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	लागू नहीं
12.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु विहित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (अवैध श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
13.	कोई संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपस्थित है:	(क) वेबलिंक: https://bbi.gov.in/home/downloads (ख) लागू नहीं

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण संदीमंडल ने दिनांक 06 फरवरी 2020 को अर्जत मारुती केसरी नंदन एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरमण करने का आदेश दिया है। मारुती केसरी नंदन एग्रीफूड्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का अंजाम 21 फरवरी 2020 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के सम्मुख ऊपर आदेश 10 के सम्बन्धित पत्र पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है। विस्तृत लेनदारों को अपने दावों का अंजाम केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का अंजाम व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों प्रस्तुत कर सकते हैं।

\*दावे उनके विहित निर्दिष्टित प्रपत्रों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोई भी- परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए कामकाजी और कर्मचारियों को छोड़कर फॉर्म सी- वितीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए फॉर्म डी- काम करने वाले और कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए फॉर्म ई- धर्मिक और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए फॉर्म एफ- लेनदारों द्वारा दावों के लिए (वितीय लेनदारों और कार्पोरेट ऋणदाता के परिचालन लेनदारों के अलावा) उपर्युक्त प्रपत्रों की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने के लिए आप वेबलिंक https://bbi.gov.in/home/downloads से डाउनलोड कर सकते हैं।

हस्ता./-  
अजय कुमार जैन  
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल  
दिनांक: 06 फरवरी 2020  
स्थान: नई दिल्ली

**वादे निभाये थे, वादे निभायेंगे**

कांग्रेस को वोट दें